

सर्व शिक्षा अभियान, सारण ।

निजी विधालयों के प्रस्वीकृति से संबंधित

प्रपत्र - II

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक :- SSA/Aff./2021-2022/0060/ 1231 दिनांक 27/06/2021

सेवा में

अध्यक्ष/ व्यवस्थापक/ प्रबंधक

नूतन शिक्षा निकेतन

कोहड़ा, टाउटपुर, मांझी

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विधालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाराज / महारानी,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 08.10.11 और उसके क्रम में आपसे किए गये पत्राचार एवं विधालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विधालय नूतन शिक्षा निकेतन, कोहड़ा, टाउटपुर, मांझी को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 24/06/2021 से 23/06/2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी ।
2. विधालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विस्तृत राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा ।
3. विधालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन अपने परीस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परंतु यह की यदि विधालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा ।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विधालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी । प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की बचत के लिए विधालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा ।
5. सोसाइटी / विधालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता - पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा ।

Rama Shankar Bhandari
Manager
Nutan Shiksha Niketan
Kohra Bazar, Saran

Anita Gini
29/6/21
Nutan Shiksha Niketan
Kohra Bazar (Saran)

6. विद्यलय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र परमाणुपर, नामांकन के विनिर्धारित अवधि के बाद तथा एम. एम. एम. - मध्यम अंग्रेजी कक्षाओं या इससे किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यलय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

- i. किसी भी नामांकन बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और नही किसी नामांकित बच्चे का परीक्षिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यलय से निष्कासित किया जाएगा।
- ii. किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
- iii. किसी भी बच्चे का परीक्षिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- iv. परीक्षिक शिक्षा पूरी करने वाला बच्चा को नियम 22 के अंतर्गत में पत्राण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- vi. शिक्षकों को निर्देशित अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योगता के अनुरूप किया जाएगा, परंतु यह की अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यकर्ता जैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योगता नहीं धारित करते हैं, 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योगता प्राप्त कर लेंगे।
- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- viii. शिक्षक निजी - स्तर पर किसी भी प्रकार का शिक्षण - गतिविधि में संलग्न नहीं होगा।
8. विद्यलय सब सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रत्येक वर्ष का अनुसरण करेगा।
9. विद्यलय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यलय अधिनियम के धारा 19 में उद्धृत मनकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यलय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है :-

विद्यलय - परिसर के क्षेत्रफल	: 6569 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्र	: 1708 वर्ग मी०
	(वर्ग कक्षा / प्रधानध्यापक कक्षा) / स्टोर / रसोई घर)
खेत के मैदान का क्षेत्र	: हाँ
वर्ग कक्षा का कुल संख्या	: 27 वर्ग फीट
प्रधानध्यापक-सह - कार्यालय - सह - भंडार कक्षा	: हाँ
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय	: 6
पेयजल की सुविधा	: हाँ

Rama Shankar Prasad
 Manager
 Nutan Shiksha Niketan
 Kohra Bazar, Saran

Amita Ghosh
 Principal 29/6/21
 Nutan Shiksha Niketan
 Kohra Bazar (Saran)

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर

: नहीं

बध्नाहित पहुँच

: हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल - कुद उपकरण / पुस्तकालय : हाँ

11. कोई भी अपरिष्कृत वर्ग कक्षा विधालय परिसर में या बाहर विधालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
12. विधालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिये होगा
13. विधालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित सन्य में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।
14. विधालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के संचालित नहीं होगा ।
15. लेखा के अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी ।
16. आपके विधालय के आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 0060 है । इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विधालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज सरकार के स्तर से प्रसवकृति की शर्तों के लगातार रूप तसे पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विधालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय - समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विधालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. अगर सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण को किसी प्रकार की अवशक्ता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
19. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विभिन्न विधालय के जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में निम्न कमियों की पूर्ति 3/5 वर्षों के भीतर दूर कर लेना होगा -
 - क. आवश्यकतानुसार वर्ग कमरों का निर्माण ।
 - ख. सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित होना होगा, अन्यथा मान्यता रद्द कर दी जाएगी ।
 - ग. खेल का मैदान ।वर्णित अभियुक्त का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में उक्त विधालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।

Rama Shankar Basak

Manager

Nutan Shiksha Niketan
Kohra Bazar, Saran

Anita Boro
Principal 29/1/21
Nutan Shiksha Niketan
Kohra Bazar (Saran)

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी
साधन, उपरा
उपरा सारण ।